संख्या-107/2015/1273/41-2015-462 सा0/13

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 01 जुलाई, 2015

विषय- आयोजनागत पक्ष में विज्ञापन द्वारा प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-332/4-1-1/(बजट)/प्र0/2015, दिनॉक 20-05-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में आयोजनागत पक्ष में व्यवस्थित बजट प्राविधान के सापेक्ष विज्ञापन द्वारा प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु धनराशि रू0 15.00 करोड (रू0 पन्द्रह करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं -

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि की आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुअल का सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा और जहां कहीं भी आवश्यक हो तो व्यय किये जाने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि की प्रत्यासा में कोई अनाधिकृत व्यय नही किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय मितव्ययिता सम्बन्धी सुसंगत शासनादेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. कार्य की प्रगति की सूचना उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

7- यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. यह सुनिश्चत किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-3452-आयोजनागत-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना और प्रसार-19-विज्ञापन विक्री और विख्यापन व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अमृत अभिजात)
सचिव।

संख्या-107/2015/1273(1)/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
5- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
6- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in